

न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 57/2017

अपीलांत

बनाम

रेस्पोंडेंट

खैरदीन पुत्र मोहम्मद खॉ  
जाति मुसलमान तेली निवासी  
हेराजोगियो की ढाणी, रतेउ  
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. तहसीलदार गिड़ा
2. जनियत पुत्री मोहम्मद खॉ  
पत्नी चैन खॉ जाति मुसलमान  
तेली निवासी माधासर, बायतु  
तहसील बायतु जिला बाड़मेर
3. हासम खॉ पुत्र मोहम्मद खॉ
4. सुभान खॉ पुत्र गफूर खॉ
5. गनी खॉ पुत्र गफूर खॉ
6. सतार खॉ पुत्र गफूर खॉ  
जाति मुसलमान तेली निवासी  
हेराजोगियो की ढाणी रतेउ  
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध  
नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 06.10.2017 द्वारा तहसीलदार गिड़ा



उपस्थित- 1. अपीलांत व अधिवक्ता श्री रिणछाराम सियाग उपस्थित।  
3. रेस्पोंडेंट संख्या 02 उपस्थित।

आदेश

दिनांक 30.05.2018

1. संक्षेप में अपीलान्त की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांत व रेस्पोंडेंटस संख्या 03 से 06 के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा पाटाली नाडी पटवार क्षेत्र रतेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नंबर 758 रकबा 154.11 बीघा आई हुई है। जिसमें अपीलांत व रेस्पोंडेंटस संख्या 03 का 1/2 हिस्सा एवं निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोंडेंटस संख्या 02 ने स्वयं को अपीलांत की बहन अर्थात स्व. मोहम्मद खॉ की पुत्री बताकर वादग्रस्त भूमि में अपीलांत व रेस्पोंडेंटस संख्या 03 के साथ सहखातेदार घोषित करने हेतु सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

बायतु के न्यायालय में वाद संख्या 29/2013 बअनुवान जनियत बनाम खैरदीन अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। सहायक कलक्टर बायतु ने उक्त वाद को स्वीकार करते हुए रेस्पोंडेंटस संख्या 02 को वादग्रस्त भूमि में 1/14 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर दिनांक 13.9.2017 को निर्णय पारित कर डिक्री पर्चा जारी किया। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार गिड़ा द्वारा भरे गये नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 6.10.2017 को निरस्त करने हेतु अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंटस को सम्मन जारी किये। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2018 के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांट मय अधिवक्ता उपस्थित, रेस्पोंडेंटस संख्या 02 उपस्थित एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 01 तहसीलदार गिड़ा उपस्थित।
3. हमने उभय पक्षों को सुना। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा वाद संख्या 29/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.9.2017 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 4.10.2017 राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष पेश की गई जिसमें दिनांक 4.10.2017 को मौजा हेराजाणियो की ढाणी के खसरा नंबर 460 रकबा 131.11 बीघा एवं मौजा पटाली नाडी के खसरा नंबर 758 रकबा 154.11 बीघा में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 01 तहसीलदार गिड़ा एवं हल्का पटवारी रतेउ को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 5.10.2017 को पेश करने के उपरान्त भी तहसीलदार गिड़ा द्वारा दिनांक 6.10.2017 को नामान्तरकरण संख्या 465 स्वीकृत कर रेस्पोंडेंट संख्या 02 का वादग्रस्त भूमि में 1/14 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में रद्दोबदल किया गया। रेस्पोंडेंटस संख्या 01 तहसीलदार गिड़ा ने विवादित आराजी के संबंध में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 4.10.2017 की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद आलौच्य



अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 6.10.2017 स्वीकृत किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4. रेस्पोंडेंटस संख्या 02 ने जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा पेश अपील मूल आदेश दिनांक 13.9.2017 के विरुद्ध नहीं होकर उक्त आदेश की पालना में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 6.10.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। तहसीलदार गिड़ा द्वारा सहायक कलक्टर बायतु के निर्णय दिनांक 13.9.2017 की पालना में नामान्तरकरण भरा गया है। यदि अपीलांट को राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के स्थगन आदेश के बावजूद तहसीलदार गिड़ा द्वारा भरे गए नामान्तरकरण के संबंध में कोई एतराज था, तो उसे राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष अवमानना की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो कि उसके द्वारा नहीं की जाकर नामान्तरकरण संख्या 465 के विरुद्ध अपील श्रीमान के सक्षम पेश की गई है, जो विधि द्वारा स्थापित नियमों के विपरीत है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 06.10.2017 सहायक कलक्टर बायतु द्वारा वाद संख्या 29/2013 में पारित निर्णय दिनांक 13.9.2017 की पालना में भरा गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील मूल आदेश के विरुद्ध नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।
5. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 02 के कथनों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलांट ने यह अपील मौजा पटाली नाडी पटवार क्षेत्र रतेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नंबर 758 रकबा 154.11 बीघा पर पारित नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 6.10.2017 के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश की है। अपीलांट का यह कहना है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा वाद संख्या 29/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.9.2017 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 4.10.2017 को दायर कर मौजा पटाली नाडी के खसरा नंबर 758 रकबा 154.11 बीघा के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था। उक्त स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 5.10.2017 को हल्का पटवारी एवं तहसीलदार गिड़ा को पेश करने के उपरान्त भी तहसीलदार गिड़ा द्वारा दिनांक 6.10.2017 को नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 6.10.2017 स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट

अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

को लगता कि राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के आदेश दिनांक 4.10.2017 की अवहेलना हुई है, तो उसे सक्षम न्यायालय में अवमानना आवेदन पत्र पेश करना चाहिये था। तहसीलदार गिड़ा द्वारा उक्त नामान्तरकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा वाद संख्या 29/2013 में पारित निर्णय दिनांक 13.9.2017 की पालना में स्वीकृत किया गया है। धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत मूल आदेश के विरुद्ध अपील पेश किये जाने का प्रावधान है। मूल आदेश वह हैं, जो किसी आदेश पर निर्भर नहीं हो, मगर हस्तगत प्रकरण में अपीलांत ने तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 06.10.2017 के विरुद्ध अपील पेश की गई है, जो मूल आदेश नहीं है, बल्कि यह आदेश सहायक कलक्टर बायतु के आदेश दिनांक 13.9.2017 पर निर्भर है। इसलिये यह अपील पोषणीय (maintainable) नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांत की यह अपील पोषणीय (maintainable) नहीं होने से खारिज की जाती है।



(ओ.पी.बिश्नोई)

अपर कलक्टर बाड़मेर  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

आदेश केम्प कौर्ट बायतु दिनांक 30.05.2018 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)